


This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect.



PROJECT

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR COMMERCIAL, SECTOR-G AT SUSHANT GOLF CITY, HI-TECH TOWNSHIP, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW



KEY PLAN. (NTS) SITE LOCATION

DRAWING TITLE
LAYOUT PLAN (Sajra)

Revision:
R1: 15.01.2019
R2: 18.01.2019
R3: 01.02.2019

DEALT BY: RAJ KAPOOR
CHECKED BY:

SCALE: 1:100
DATE: December-2018

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2031 तथा भवन उपविधि 2008/2011/2016 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

ARCHITECT: TEAM ARCHITECTURE
CLIENT/OWNERS: ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD.

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD.
115, ANSAL BIRWAK,
16, K.O. MARG, NEW DELHI - 110001.

HEAD LAND DEPT. SIGNATURE: [Signature]
OWNER'S SIGNATURE: [Signature]

DRG. NO.: HI-TECH/SGC, LKO/COM/SEC-G/Sajra- 01

- प्रतिबन्ध
1. मू-स्वामित्व तथा मूनि बाट-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी मूनि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस मूनि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। मूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की मूनि व अन्य की मूनि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/मूनि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
 2. वर्तमान शासनादेश के क्रम में लेण्ड स्केमिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
 3. लेण्ड स्केमिंग प्लान व सर्वेसैज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
 4. विकास उपशान्त योजना को स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करना होगा। हस्तान्तरण तक रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता/आवेदक की होगी।
 5. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
 6. सेक्टर हाईस्टिग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
 7. लेवर एक्ट का अनुपालन करना होगा एवं लेवर सेस शुल्क का नियमानुसार भुगतान करते हुए प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
 8. स्थल के पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विकास कार्य पूर्ण करना होगा।
 9. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट लगाना होगा।
 10. यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉंगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
 11. विन्यास मानचित्र की पूर्व स्वीकृति के क्रम में यदि विकासकर्ता/मू-स्वामी द्वारा सम्पत्तियां का कय-विक्रय किया गया है तो उनके समायोजन का उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा। रैरा एक्ट के प्राधिकरणों का पालन करना होगा।
 12. यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

स्वीकृत
परमिट संख्या: MAP-20190118154226277
दिनांक: 29-01-2019
स्वीकृत की मध्याह्न दि: 28-01-2024
अधिसारी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

